U;k;ky; HkkiicU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy ikf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 77@2011

1. अमीलाल पुत्र गणपतराम जाति मेघवंशी निवासी ठिमाउ बडी तहसील राजगढ जिला चूरू ।

vihykV

cuke

1. मृतक चन्द्रा पुत्र झाबर जाति मेघवंशी निवासी ठिमाउ बडी तहसील राजगढ जिला चूरू ।
2. मु0 घोटा बेवा चन्द्रा जाति मेघवंशी निवासी ठिमाउ बडी तहसील राजगढ जिला चूरू ।
3. योगेन्द्र नाबालिग जरिये अपने पिता व वली फूलाराम पुत्र नथुराम जाति मेघवशी निवासी ठिमाउ बडी तहसील राजगढ जिला चूरू ।

jLikM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री ललित गौतक अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गिरधारीलाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh jktx< ftyk p: d

fu.k; o fMØh fnukd 14-10-2011 d fo:} vihy

vUrxr /kkjk 223 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

fu दिनांकः—25.08.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2011 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश

हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 67 रकबा 24.18 बीघा जिसके हाल ख0न0 494 रकबा 2.06 बीघा, ख0न0 495 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 496 रकबा 6.12 बीघा, ख0न0 500 रकबा 3.02 बीघा, ख0न0 501 रकबा 5.17 बीघा, ख0न0 502 रकबा 6 बीघा एवम ख0न0 677 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 24.10 बीघा वाके रोही ठिमाउ तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है ।

2. अपीलांट पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 67 रकबा 24.18 बीघा जिसके हाल ख0न0 494 रकबा 2.06 बीघा, ख0न0 495 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 496 रकबा 6.12 बीघा, ख0न0 500 रकबा 3.02 बीघा, ख0न0 501 रकबा 5.17 बीघा, ख0न0 502 रकबा 6 बीघा एवम ख0न0 677 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 24.10 बीघा वाके रोही ठिमाउ तहसील राजगढ जिला चूरू मे सम्वत 2000 की मिशल बंदोबस्त में वादी/अपीलांट अमीलाल व नानड़ पुत्र अगड़ी के नाम बहिस्सा बराबर तथा सम्वत 2010 में भी वादगत भूमि बहिस्सा बराबर अमीलाल व नानड़ के नाम खातेदारी दर्ज हुई जो हिस्से बहिस्सा बराबर काश्त करते रहे है । सम्वत 2011 से 2014 प्रतिवादी सं0 1 चन्द्रा परिवार के सदस्य होने के नाते राजस्व कार्मिकों से साठगांठ कर वादगत भूमि ख0न0 67 में नानड़ के नाम अंकित 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा अपने नाम गलत खातेदारी दर्ज करवा लिया इसके बाद नानड़ के 1/4 हिस्सा, अमीलाल के 1/2 हिस्सा व चन्द्रा के 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है । इस गलत अंकन के दुरूस्ती हेतु घोषणात्मक दावा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । नानड़ का स्वर्गवास सम्वत 2014 में हुआ उसके पश्चात नानड़ के नाम दर्ज हिस्सा नानड़ के बैवा मु0 गौरा के नाम दर्ज हुआ । गौरा अमीलाल की सगी भाभी थी जो अमीलाल के शामिल रहती थी । अमीलाल ही उसकी सेवा चाकरी करता था तथा वादगत कृषि भूमि की काश्त भी अमीलाल करता था । गोरा का स्वर्गवास लाओलाद दिनांक 22.07.98 को हो गया । उसका वारिस अमीलाल ही था जिस कारण नानड़ की विवादित कृषि भूमि 1/2 हिस्सा भी अमीलाल के नाम खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी । सम्वत 2034 में राजस्व अभियान में वादी व मु0 गोरा को बिना ज्ञान कराये विवादित कृषि भूमियो के अलावा भूमि का खाता विभाजन कह कर गलत खिलाफ कानून बिना वादी व गौरा की जानकारी के विवादित कृषि भूमियो व दुसरी कृषि भूमियों को जो उनके नाम अलग अलग खाते की थी सम्मिलित करके चन्द्रा ने खाता अलग अलग विभाजित करवा दिया । अपीलांट/वादी अमीलाल के परिवार में फुलाराम ने राजस्व रेकार्ड में मु0 गौरा के नाम अंकित 1/4 हिस्[illegible] भूमि को हड़पने के लिये अपने पुत्र योगेन्द्र रेस्पो0/प्रतिवादी सं02 को गौरा [illegible] व फर्जी दत्तक पुत्र बताते हुऐ गोदनामा दिनांक 29.07.98 को पंजीकृत [illegible] लिया जिसका वाद न्यायालय एडीजे राजगढ में सुनवाई के दौरान दिनांक 29.03.2004 को डिक्री किया जाकर उक्त गोद पत्र फर्जी मानकर न्यायालय ए[illegible] राजगढ ने उक्त गोद पत्र निरस्त कर दिया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.10.2011 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

वादगत कृषि भूमि में अपीलांट/वादी का 1/2 हिस्सा यथावत रखा तथा गौरा पत्नी नानड़ के हिस्से की 1/2 जो अपीलांट/वादी के नाम खातेदारी होनी चाहिये थी क्यों कि गौरा पत्नी नानड़ अपीलांट/वादी के नजदीकी रिश्तेदार थी तथा इसी के साथ रहती थी को नजरअन्दाज करते हुऐ गौरा पत्नी नानड़ का 1/2 हिस्सा राजसात कर दिया जो कानूनी रूप से गलत है अतः गौरा पत्नी नानड़ का 1/2 हिस्सा जो राजसात किया गया है वो अपीलांट/वादी अमीलाल के नाम खातेदारी दर्ज की जावे व अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2011 को खारिज किया जावे की जावे ।

3. रेस्पो0 पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि ख0न0 67 रकबा 24.18 बीघा जिसके हाल ख0न0 494 रकबा 2.06 बीघा, ख0न0 495 रकबा 4 बिस्वा, ख0न0 496 रकबा 6.12 बीघा, ख0न0 500 रकबा 3.02 बीघा, ख0न0 501 रकबा 5.17 बीघा, ख0न0 502 रकबा 6 बीघा एवम ख0न0 677 रकबा 9 बिस्वा कुल रकबा 24.10 बीघा वाके रोही ठिमाउ तहसील राजगढ जिला चूरू में स्थित है को अपीलांट/वादी अमीलाल की खातेदारी कब्जा काश्त घोषित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया था । दावा पेश किये जाने के समय समस्त वादगत कृषि भूमियों में 1/2 हिस्सा अपीलांट अमीलाल 1/4 हिस्सा रेस्पो0/प्रतिवादी के पति चन्द्रा तथा शेष 1/4 हिस्सा रेस्पो0 योगेन्द्र के नाम दर्ज रहा है । रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसके आधार पर अदालत मातहत द्वारा कुल 7 तनकियात कायम की गयी जिसमें से तनकी सं0 1,2, व 3 का भार वादी तथा तनकी 4,5,6, का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया तथा तनकी सं0 7 अनुतोष के बाबत थी लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.11 के द्वारा उपरोक्त सभी तनकीयात के अनुतोष से बाहर जाकर समस्त अपीलगत कृषि भूमियों को लावारिश सम्पति राजशात किये जाने की कार्यवाही करने का आदेश पारित कर दिया जो हर प्रकार से अपास्त किये जाने योग्य है । जमाबंदी सम्वत 2011 से 2014 में समस्त अपीलगत कृषि भूमियां अपीलांट अमीलाल 1/2 हिस्सा, रेस्पो0/प्रतिवादी के पति चन्द्रा 1/4 हिस्सा व नानड 1/4 हिस्सा दर्ज रही है जो यथावत आगे दावा पेश होने तक 1/2 हिस्सा अमीलाल अपीलांट, 1/4 हिस्सा रेस्पो0 के पति चंन्द्रा व 1/4 हिस्सा रेस्पो0 योगेन्द्र के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है । सम्वत 2034 में रेस्पो0 के पति चन्द्रा ने अपीलगत कृषि भूमियो में स्थित अपील खातेदारी भूमि व कब्जा [illegible] के 1/4 हिस्से का खाता अलग विभाजित करवा कर अपनी एक[illegible] खातेदारी में दर्ज करवा लिया । खातेदार नानड लाओलाद [illegible] अपीलगत कृषि भूमियो मे स्थित खातेदारी व कब्जा काश्त के रकबे [illegible] लेकर रेस्पो0 के पति व अपीलांट अमीलाल के मध्य विवाद [illegible] न्यायालय ने तनकी सं0 1,2व 3 अपीलांट/वादी अमीलाल के विरूद्व निर्णित की तथा तनकी सं0 4 से 6 प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्व निर्णित करते हुऐ समस्त वादगस्त कृषि भूमियों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

राजसात करने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.11 को पारित किया तथा दिनांक 02.11.11 को नोट अंकित करते हुऐ आदेश की छठी लाईन में कुल रकबा 24.10 बीघा सम्पुर्ण हिस्से के स्थान पर आधा हिस्सा पढा जावे क्यों कि अमीलाल का पूर्व में 1/2 हिस्सा दर्ज है, का अंकन किया गया । यहां यह कथन कर देना उचित होगा की रेस्पो0 के पति का समस्त वादगत भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी में लगातार दर्ज चला आया है जिसका हवाला अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी दिया है लेकिन रेस्पो0 के पति चन्द्रा की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को दिनांक 02.11.11 मे अंकित संशोधन नोट में शामिल नही करके अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है । अधिनस्थ न्यायालय ने दावा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम व तनकीयात सं0 1 से 6 की परिधि से परे जाकर मनमाने व गलत रूप से निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो समस्त कानूनी प्रक्रिया व प्रावधानो की अनदेखी में पारित किया हुआ होने से खारिज योग्य है । विवादित भूमि साबिक ख0न0 67 पक्षकारान के दादा लच्छु की खातेदारी खुदकाश्त की थी जो बाद में पारिवारिक बंटवारा व विरासतन वादी अमीलाल,प्रतिवादी चन्द्रा व नानड के हिस्से में आई । अपीलांट/वादी अमीलाल का यह कथन की विवादित ख0न0 67 उसने व नानड ने जोतोड किया, सरासर गलत व मनगढत है । प्रमाणित प्रति मिशलबंदोबस्त सन 2011 ग्राम ठिमाउ बडी अवलोकनार्थ पेश किया है । आपसी सहमति से राजस्व अभियान में दिनांक 02.12.78 को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुऐ उक्त तीनो पक्षो के बीच खाता विभाजन हुआ तथा वाद विभाजन अपने अपने हिस्सो अपीलांट/वादी अमीलाल 1/2 हिस्सा, रेस्पो0 के पति चंन्द्रा 1/4 हिस्सा शांतिपूर्वक निर्विवाद रूप से तथा नानड की पत्नी गौरा अपनी मृत्यु तक काबिज काश्तकार रही है । इस प्रकार वादगत भूमि कभी भी लावारिश नही रही है जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजशात किया जाकर अहम कानूनी भूल की है । इस प्रकार तमाम तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिंनाक 14.10.2011 को खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जावे एवम मु0 गौरा की मृत्यु पर सामाजिक रश्म भी रेस्पो0 के परिवार व प्रतिवादी चन्द्रा द्वारा की गयी है तथा नानड का निकटतम वारिश रेस्पो0 का पति चन्द्रा होने के कारण विवादित भूमि में मु0 गौरा के 1/4 हिस्से को रेस्पो0/प्रतिवादी अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने अधिकारिणी है । अतः गौरा का 1/4 हिस्सा रेस्पो0/प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेण्ट पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । सम्वत 2000 व 2010 मे अपीलांट/वादी अमीलाल व नानड़ के [illegible] वादगत कृषि भूमि बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज रही है । [illegible] 2011 से 2014 में नानड़ वल्द अगड़ी, अमीलाल वल्द गणपत एवम चन्द्रा [illegible] नाम दर्ज रही है । जिसका सम्वत 2034 में हुवे विभाजन में 1/2, 1/4 [illegible] होना दोनो पक्ष स्वीकार करते है । उक्त खाता विभाजन होकर राजस्व रेकार्ड मे अंकन हुआ जिसमें वादगत कृषि भूमि में नानड़ वल्द अगड़ी का 1/4 हिस्सा, अमीलाल वल्द गणपत का 1/2 हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

चन्द्रा वल्द झाबर का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर उसी अनुसार कब्जा काश्त खातेदार दर्ज चला आ रहा है । जिसकी आपत्ती पूर्व में नानड़ व अमीलाल द्वारा नही की गयी तथा नानड़ की मृत्यु पश्चात उसकी बेवा गौरा द्वारा भी कोई आपत्ती नही की गयी है । गौरा की मृत्यु के पश्चात अमीलाल द्वारा नानड़ का 1/2 हिस्सा बताया जाकर अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में साबित नही होने पर खारिज कर दिया एवम प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम भी साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया किन्तु नोट में यह अंकन के कुल तादादी 24.10 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा के स्थान पर आधा पड़ा जावे क्यों कि अमीलाल का पूर्व में 1/2 हिस्सा दर्ज है शेष सम्पती लावारिश सम्पती घोषित कर राजसात करने के आदेश प्रदान किये गये जब अमीलाल का वादगत कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा पूर्व में दर्ज माना गया है तो इसी प्रकार से सम्वत 2034 की जमाबंदी में बतौर खातेदार वादगत कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा चन्द्रा का भी दर्ज रहा है जिसका विरोध किसी भी पक्षकार द्वारा पूर्व नही किया गया है । पूर्व में दर्ज हिस्से के अनुसार चन्द्रा भी वादगत कृषि भूमि में 1/4 हिस्से का कब्जा काश्त खातेदार है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चन्द्रा के 1/4 हिस्से को राजसात करने के जो आदेश पारित किये है वो न्याय सगंत प्रतीत नही होते है । नानड़ वल्द अगड़ी के 1/4 हिस्से के संबंध में दोनो पक्षकारों द्वारा अपना अपना दावा साबित करने के लिये ऐसा कोई साक्ष्य इस न्यायालय में भी प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि नानड़ की पत्नी गौरा की देखभाल दोनो पक्षो में से किसी एक ने की हो साक्ष्यों के अभाव में नानड़ वल्द अगड़ी का 1/4 हिस्सा राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.10.2011 में आशिंक संशोधन किया जाता है की वादगत कृषि भूमि ख0न0 67 तादादी 24.10 बीघा में चन्द्रा वल्द झाबर का 1/4 हिस्सा , अमीलाल वल्द गणपत का 1/2 हिस्सा कब्जे काश्त खातेदार तथा नानड़ वल्द अगड़ी का 1/4 हिस्सा राजसात किये जाने आदेश प्रदान किये जाते है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो ।

6. निर्णय आज दिंनाक 25.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:55:11 IST
Reason: SelfAttested

(egkohj [kjkMh½
ihBklhu vf/kdkjh ,o
Hkw jktLo vihy iznf/kdkjh
chdkusj